

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एडीसी/2017/ 52

दिनांक : 21.03.17


आदेश

फर्म मैसर्स सपना बुनकर हाथकर्घा सहकारी समिति लि. बी-12 (डी), मालवीया नगर, इण्ड0 एरिया, जयपुर (जिसे आगे से "लाईसेन्सी" के नाम से संबोधित किया जावेगा) जिसे कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तद्धीन नियमावली 1945 (जिसे आगे से क्रमशः "अधिनियम" एवं "नियमावली" शब्दों के नाम से संबोधित किया जावेगा) के प्रावधानों के तहत सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ-11 के अनुसार निर्माणार्थ अनुज्ञापत्र संख्या RAJ/1855 प्रपत्र 25 पर दिनांक 17.03.1998 को जारी किये गये हैं एवं जो फार्म-26 पर दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत हैं। आगामी अवधि (01.01.2017 से 31.12.2021) के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया हुआ है। श्रीमती सिंधु कुमारी, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा फर्म के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के संदर्भ में दिनांक 04.01.2017 को फर्म का निरीक्षण श्री विशाल सिंह राठोड, सचिव समिति/फर्म की उपस्थिति में किया एवं निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति वक्त निरीक्षण आपको उपलब्ध कराई गई।

कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक एडीसी/2017/21 दिनांक 30.01.2017 द्वारा नियमावली के नियम 69 एवं 85 के तहत फर्म को कारण बताओ नोटिस दिया गया एवं नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस में कार्यालय में कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। फर्म ने अपने पत्र दिनांक 16.02.17 (प्रति दिनांक 22.02.2017) के द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया।

यह कि कारण बताओ नोटिस के क्रम में प्रस्तुत लाईसेन्सी का जवाब, निरीक्षण रिपोर्ट, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं फर्म/प्रकरण से संबंधित कार्यालय में संधारित रिकार्ड इत्यादि का गहनता से अध्ययन एवं मनन करने पर लाईसेन्सी का जवाब निम्न कारणों से संतोषजनक नहीं पाया गया एवं अनियमितता किया जाना प्रमाणित हुआ।

क्र. सं.	निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी कारण बताओं नोटिस के विभिन्न बिन्दु	फर्म द्वारा प्रस्तुत जवाब	कॉलम संख्या 2 व 3 के लिये विवेचना	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	Labeling of all equipment & Machineris not found done	As all equipments are used daily that's why some of there labels are partly disturbed, as these equipments were purchased in 1998 and from time to time they are replaced when required so in next financial year's meeting of society resolution will be passed for purchase of new equipments. In present all the equipments are in good conditions and there in no effect on there working due to labels dislocation.	यदि निर्माण कार्य इत्यादि बन्द है तो मशीनों को पॉलिथिन इत्यादि से पैक कर Machine not in use इत्यादि का लेबल लगाया जाना चाहिए था, जो निरीक्षण वक्त नहीं पाया गया। अतः प्रस्तुत जवाब से स्वतः ही स्पष्ट है कि इक्यूपमेंट व मशीनों पर मशीनों के स्टेटस संबंधित कोई लेबल नहीं था। जवाब तथ्यहीन होने से संतोषजनक नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है
2	SOPs for operation of individual testing equipments i.e. on UV lamp & Extractor not found prepared and displayed alongside.	According to some photographs UV lamps and extractor shown are put in spare. As per inspection reports title "Plant and Machineris as per Sch.M Part-II" it is already mentioned that all the machineris/equipments were found installed in such manner so that proper cleaning could be done. Still if there discrepancy found we will committed to improve those.	प्रस्तुत जवाब में SOPs for operation of individual testing equipments not produced का कोई ब्योरा अंकित नहीं है अतः जवाब मानने योग्य व संतोषजनक नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है
3	No equipments were calibrated and status label was not displayed.	Equipments are not calibrated and status label are displayed as per inspection reports title "Plant and Machineris as per Sch.M Part-II" except one or two which will be properly maintained further.	जवाब असंतोषजनक होने से मानने योग्य नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है




4	Calibration schedules of Balances and other equipments not found prepared.	Calibration schedule of balances and other equipments was not prepared which is also mentioned reports title "Plant and Machinerias as per Sch.M Part-II"	जवाब असंतोषजनक होने से मानने योग्य नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है।
5	Separate statutory register was not maintained by the firm for NSQ declared drugs; neither any separate record produced on demand for NSQ declared drugs till date.	According to Cooperative act Separate statutory register is maintained by our firm and on the basis of this register yearly audit has been done. As this register is not related with the drug act and not demanded at the time of inspection, still if required we will present it.	जवाब के साथ रजिस्टर/अन्य संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण जवाब संतोषजनक नहीं है एवं माने जाने योग्य भी नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है।
6	The Medical examination report of all the employees demanded, not found available and not produced.	As it was a surprise inspection so mistakenly we can't produce it. In future we will keep in mind about that.	संस्था द्वारा अपने जवाब में अनियमितता किया जाना माना गया।	अनियमितता प्रमाणित है।
7	That demanded electricity bills of firm for last three years, Secretary produced few bills during inspection as mentioned in inspection report. No other electricity bill produced during inspection. Although bill of previous three years was demanded.	As this is a rented premises so we have to returned all the bills to the owner from time to time and at the time of surprise inspection we produce those bills which we have. If required we will produce them.	बिजली के बिल के संबंध में जवाब सत्यता से परे है एवं संतोषजनक नहीं है एवं मानने योग्य भी नहीं है क्योंकि जवाब के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।	अनियमितता प्रमाणित है।
8	That demanded purchase bills & transport bilty of cotton gauze/ cotton cloth used as raw material for manufacturing of surgical dressing for last three years only purchase bills as mentioned in inspection report produced, No other purchase bill and transport bilty produced during inspection.	As this is a surprise inspection so maximum bills we have in hand at the time of inspection we had produced. In yearly audit all the bills and bilty are accounted.	निरीक्षण के दौरान मांगे गये दस्तावेजों के संबंध में ना तो जवाब में ब्यौरा अंकित है और ना ही purchase bills & transport bilty of cotton gauze/cotton cloth के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया है। अतः जवाब संतोषजनक एवं मानने योग्य नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है।
9	On demand Purchase bills of yarn bales. As mentioned in inspection report produced but found mentioned on invoice that received through lorry freight, but L.R. No. Not mentioned in bill, no bilty for same made available. No other bilty or purchase bill produces during inspection for previous years.	As per the terms and conditions of orders of yarn, supplier have to deliver the goods up to our go down and on these bases the rates of yarns has been decided. Thus suppliers have all the liabilities of bills, bilties, fright etc due to which supplier can't provide them to us.	निरीक्षण के दौरान मांगे गये दस्तावेजों के संबंध में ना तो जवाब में ब्यौरा अंकित है और ना ही purchase bills & transport bilty of cotton gauze/cotton cloth के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया है। अतः जवाब संतोषजनक एवं मानने योग्य नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है।
10	That demanded attendance register and Pay Slips of all employees, but no documents related to salary given to bunkars/weavers produced. No other salary slip produced during inspection.	All weavers are members of society, they are not employees and hence they are working on profit sharing basis thus no salaries are given to them.	जवाब के साथ दस्तावेज प्रेषित नहीं किया है तथा संबंधित कर्मचारियों के द्वारा वेतन राशि के प्राप्ति अथवा बैंक स्टेटमेंट इत्यादि दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किये जाने से जवाब मान्य नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है।
11	That during inspection Sh. Vishal Singh Rathore, secretary of society/firm stated that raw materials (cotton gauze/cotton cloth) used for manufacturing of surgical dressing are not bleached in house and no set up/facility of bleaching of raw material found available inside premise.	This is a correct statement given by secretary of society as we done the bleaching of cloths from outside or already bleached cloth is purchased because in this premises there is scarcity of water and also have little drainage problem.	जवाब असंतोषजनक होने से मानने योग्य नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है।

जिसके फलस्वरूप लाईसेंसि द्वारा नियमावली के नियम 124-C एवं शिड्यूल-एफ II सपटित अधिनियम की धारा 18(a)(vi), (b) एवं लाईसेंस की शर्तों (नियम 74 के विभिन्न बिन्दु जो प्रपत्र 25 से संबंधित) का उलंघन किया जाना प्रमाणित है।

अतः मैं अजीत जैन, अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर नियमावली के नियम 85 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लाईसेंसी को जारी सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ-1A के अनुसार निर्माणार्थ अनुज्ञापत्र संख्या RAJ/1855 प्रपत्र 25 पर दिनांक 17.03.1998 को जारी किये गये हैं एवं जो फार्म-26 पर दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत हैं। आगामी अवधि (01.01.2017 से 31.12.2021) के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया हुआ है को 03 माह (05 अप्रैल 2017 से 04.07.2017 तक) के लिये निलम्बित करता हूँ।

उक्त कार्यवाही लाईसेंसी के विरुद्ध लम्बित/भविष्य में की जाने वाली किसी भी न्यायिक कार्यवाही पर बिना विपरीत प्रभाव डाले की जा रही है।



(अजीत जैन)
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक
जयपुर।

क्रमांक : एडीसी/2017/52

दिनांक : 21/03/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, हैण्डलूम भवन, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के सामने, टोंक रोड, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन, चौमू हाउस, जयपुर
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0 क0/आई0ई0सी0/ई0एस0आई0/एम0एस0यू0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।
5. औषधि नियंत्रक-प्रथम एवं द्वितीय, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. फर्म मैसर्स सपना बुनकर हाथकर्घा सहकारी समिति लि. बी-12 (डी), मालवीया नगर, इण्ड0 एरिया, जयपुर को आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि उक्त अवधि में स्वीकृत उत्पाद (सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ-1A के अनुसार) निर्माण, क्रय एवं विक्रय बंद रखें, तथा दिनांक 04.04.2017 को निर्माण की गई/की जाने वाली औषधियों का विवरण एवं संबंधित औषधि के लिये अन्तिम विक्रय बिल तथा दिनांक 05.07.2017 को निर्माण की गई/की जाने वाली औषधियों का विवरण एवं संबंधित औषधि के लिये प्रथम विक्रय बिल मय दस्तावेज यथा समय कार्यालय में प्रस्तुत करें। (रजिस्टर्ड)
11. श्रीमती सिंधु कुमारी, औषधि नियंत्रण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना यथा समय सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
12. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
13. थानाधिकारी, पुलिस थाना, मालवीया नगर, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा कार्यवाही हेतु इमदाद मांगे जाने पर उपलब्ध कराने का श्रम करें।
14. प्रभारी सर्वर रूम (मुख्यालय) को भेजकर लेख है कि कृपया पत्र को उक्त सभी को ई-मेल एवं संगठन के वेब पेज पर प्रदर्शित करने का श्रम करावें।
15. रक्षित पत्रावली/कार्यालय प्रति।


(अजीत जैन)
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक
जयपुर।